ग्रामीण विकास में महिला भागीदारी एवं इसके सामाजिक प्रभाव

*पुष्पा तातेड़ (जैन)

भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया या व्यूहरचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जन–जीवन के ताना–बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। ग्रामीण विकास तो आदिकाल से हमारे जीवन का अंग रहा है। हमारे मनीशियों ने इसे एक दर्शन और साधना के रूप में स्वीकार किया। यदि रामराज्य से लेकर चाणक्य तक तथा गुप्त वंश से लेकर मध्य युग तक की ऐतिहासिक रचनाओं रूपी निधि पर हम निगाह डालते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्रशासकीय व्यवस्था ग्रामीण स्तर से उपर की तरफ जाती थी। चाहे वह कौटिल्य के जमाने का प्रजातंत्र हो या बाद के काल का राजतंत्र सबमें ग्रामीण जीवन की सुख सुविधाओं और सर्वांगीण विकास पर ही बल दिया गया है।

जिस देश में लगभग तीन चौथाई आबादी गांव में बसी हो और कृशि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राश्ट्र के विकास की कल्पना ही भला कैसे संभव है। यही कारण है कि योजनाबध्द विकास की प्रक्रिया के प्रथम सोपान यानी पहली पंचवर्शीय योजना से ही ग्रामीण विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में भाामिल रहा है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या विस्तृत क्षेत्रफल तथा सीमित संसाधनों के कारण अपेक्षित परिणाम चाहे नहीं मिल पाए हैं,परन्तु यह भी सत्य है कि सरकार के अब तक के प्रयासों से ऐसा बुनियादी ढॉचा खड़ा हो चुका है जिसके बल पर ग्रामीण विकास का सपना साकार होने की आशा की जा सकती है।

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुतःग्रामीण विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आव यक है। बढ़ती जनसंख्या,गरीबी,अशिक्षा,बीमारी,बेरोजगारी,भूमि तथा अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बंटवारा सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएं ग्रामीण भारत के विकास में बाधक हैं महात्मा गांधी ने सच कहा था कि–भारत का आधार और आत्मा गांव हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गांवों तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा।

आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। सन् 1959 में बलवन्त राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता है। पंचायती राज व्यवस्था को सुद्दढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायतों और सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की कर दी गई। इस व्यवस्था का यह प्रभाव हुआ कि देश भर में लाखों महिलाओं को देश के लोकतांत्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया।

संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छिपी भाक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था। इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में पंचायत चुनावों की घोषाणा की गई। इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नही किया गया है। वर्तमान संदर्भों में

देखा जाय तो बिहार के बाद मध्यप्रदेश राजस्थान में पंचायती चुनावों में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50 कर दिया है और यह सब इसलिए भी हुआ है कि महिलाओं की भाक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होंने कहीं अधिक संवेदन शीलता के साथ अपने पदों पर रहकर न्याय किया है।

ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में कुछ वर्शो पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नही ंके बराबर रहा है। आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर की संस्थाओं में महिलाएं निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यद्यपि महिलाओं के लिए यह नया क्षेत्र है तथा सामन्ती मनोवृत्ति से जकडे पुरूश प्रधान समाज में उन्हे पुरूशों के कडें प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है परन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा संवेदन शील और बेहतर प्रशासक कम समय में ही सिद्ध कर दिया है। अब विवश होकर राजनैतिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देने पड रहे है।

ग्रामीण विकास के आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक तीन पहलू हैं जो परस्पर एक दूसरे से सम्बध्द है। इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरूशों की तुलना में दो गुना अधिक श्रम किया जाता है जहॉ एक पुरूष प्रतिदिन दस घंटे कार्य करना है वहीं एक महिला प्रतिदिन सोलह घंटे कार्य करती हैं लेकिन चूंकि प्रत्यक्ष आय में उसका योगदान कम होता है। अतः उसके योगदान को वह महत्व प्राप्त नहीं होता जिसकी वह अधिकारिणी है।

जहॉ तक सामाजिक दष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह स्थिति दयनीय है फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारंभ हो गया है। कुछ समय में देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जाग्रति का परिचय दिया है। मणिपुर आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा,बिहार में भाराब बंदी लागू करने के पीछे ग्रमीण महिलाओं ने न केवल भाराब बंदी के लिए आंदोलन चलाया बल्कि भाराब पीने वाले पुरूषों का सामाजिक बहिश्कार भी किया। भाराब पिए हुए पुरूषों की पिटाई करने तक का आंदोलन चलाया तथा इसमें अपने परिवार के पुरूषों तक को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा अन्य राज्यों के कुछ भागों में इन चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराईयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलताएं अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए है।

सतही स्तर पर पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर जहां उनकी भागीदारी को एक हद तक बढ़ावा मिला है वहीं राश्ट्रीय स्तर पर अभी बहुत कुछ करना भोश है। महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जो महिलाएं संसद और विधान सभाओं में चुनकर आएगी उनका पंचायत स्तर की महिलाओं तक नेटवर्क होगा जिसके कारण पंचायत में महिलाओं को और अधिक सशक्त होने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का उपयोंग करने तथा सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में अपनी निजी भूमिका निभाने में अनेक बाधाएं है। लेकिन जिस समाज में महिलाओं का घर से बाहर निकलना तक अच्छा न समझा जाता रहा है उस ग्रामीण परिवेश में निश्चय ही एक नई चेतना का संचार हुआ है।

निरक्षरता गरीबी तथा अंधविश्वास के बंधनों को तोडना मुश्किल होते हुए भी अब जरूरी हो गया है। कम से कम प्रारंभिक चरण में ही सही भाक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए अनमने ढंग से ही सही महिलाओं को चुनाव में खडा तो कर रहे हैं। आरक्षण की इस व्यवस्था से महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु एक मौन–क्रांति के युग का प्रारंभ हो गया है जिससे आने वाले वर्शो में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद और अधिक सकारात्मक परिणाम निश्चय ही सामने आएंगे। आज भले ही पंचायतों में महिलाओं की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाया जा रहा है। पंरतु यह धारणा बिलकुल गलत है कि महिलाएं कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। वास्तविकता यह है

कि अब तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था और सामाजिक–राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने के मार्ग में अड़चने पैदा करने का ही प्रयास किया गया। ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब भी महिलाओं को आगे आने का अवसर मिला है, उन्होंने इसका पूरा–पूरा उपयोग किया है। यह हमें विभिन्न राज्यों में हुए पंचायत संस्थाओं के चुनावों से ज्ञात होता है। यू ंतो पंचायत के हर स्तर पर एक तिहाई महिलाएं निर्वाचित हुई है,परन्तु कुछ राज्यों में इससे अधिक संख्या में चुनी गई है।

महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के आधार पर व एकल योजना जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक रही है। वह योजना है महात्मा गांधी नरेगा योजना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ऐसा मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य अकुशल भारीरिक श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदुरी रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। महात्मा गांधी राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर, समावेशी विकास,महिला सशक्तीकरण, आजीविका सुरक्षा तथा प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ावा देने में एक प्रभावशाली कार्यक्रम के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम माना है। इसके दायरे में देश की करीब 15 प्रतिशत आबादी यानी 18 करोड़ 20 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। विश्व बैंक की ''स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स 2015'' में यह जानकारी दी गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रतिवर्ष औसतन लगभग 5 करोड परिवारों को रोजगार प्रदान करती है। यह देश के ग्रामीण परिवारों के 25 प्रतिशत है। वर्श 2014–15 में देश में 166.27 करोड श्रम दिवसों का सृजन किया गया तथा 23520.80 करोड़ रूपये मजदूरी पर व्यय किये गये। प्रतिलाभार्थी औसत मजदूरी प्रतिदिन 144 रूपये रही । महात्मा गांधी नरेगा पर राश्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (छैव) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि इस योजना ने रोजगार उपलब्ध करवाया जिससे खाद्य सुरक्षा, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय और बचत बढ़ाने में योगदान हुआ। महात्मा गांधी नरेगा योजना में महिलाओं की भागीदारी सभी योजनाओं की तुलना में अधिक है। महिलाओं को समान काम और उस तक सरल पहुॅच, बेहतर कार्य परिस्थितियॉ,पुरूषों के बराबर मजदूरी और निर्णय निकायों में उनका प्रतिनिधित्व का प्रावधान योजना के दिशा–निर्देशों में किया गया है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014–15 में महिलाओं की भागीदारी 54.87 प्रतिशत रही तथा राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी 68.25 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है। महात्मा गांधी नरेगा पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (छैव) के 66वें चरण व अन्य अध्ययनों एंव क्षेत्रों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। महिलाऐं अपनी आमदनी को भूखमरी से बचने,छोटे कर्जो को चुकाने ओर बच्चों की स्कूल फीस चुकाने व स्वास्थ संबंधी खर्चो पर खर्च कर रही है। महात्मा गांधी नरेगा के बाद महिलाओं के सामाजिक,आर्थिक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त ग्रामीण आवास उपेक्षितों के लिए किया जाने वाला प्रमुख गरीबी उपशमन उपाय है। केन्द्र सरकार सभी के लिए आश्रय उपलब्ध कराने के प्रयासों के तहत इंदिरा आवास योजना चला रही है। मकान केवल आश्रय और निवास स्थान नहीं होता बल्कि यह एक ऐसी संपत्ति है। जिससे आजीविका के साधन उपलबध होते हैं और जो सामाजिक स्थिति का प्रतीक होने के साथ–साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक रूप भी होता है। वर्श 2014–15 में 20.79 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में उक्त योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से संचालित कि जा रही हैं।

इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार आईएवाई मकानों का आवंटन विधवा/अविवाहित/पति से अलग रह रही महिला के मामले को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पति और पत्नी के संयुक्त नाम से किया जाना चाहिए। राज्य

चाहें तो इन मकानों का आवंटन केवल महिलाओं के नाम पर भी कर सकते है। एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी की विधवाओं और वृद्ध महिलाओं को सहायता दी जाती है। महिलाओं के लाभार्थ कम से कम 30 प्रतिशत योजनागत संसाधनों का निर्धारण करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने जेंडर बजट प्रकोषट की स्थापना कर दी है।

उपरोक्त विवेचन में ग्रामीण भारत अब अपनी उपस्थिति का अहसास करा रहा है व महिला भागीदारी के साथ उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास कर महिला सशक्तिकरण को सुट्टढ कर रहा है। अन्ततः ''महिला भागीदारी से राष्ट्र के विकास के कर पहिये तेजी से बढ़ रहे है व महिलाओ की नेतृत्व क्षमता व भागीदारी से सामाजिक जनजीवन में सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हो रहे है।

***शोधार्थी (समाजशास्त्र)**
म•द•स• विश्वविघालय,
अजमेर

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:–

1. वृद्दद राजस्थान पंचायती राज कोड बाबेल डॉ0 बंसतीलाल बाफना पब्लिशिंग हाउस,जयपुर 2014
2. विधी एवं सामाजिक परिवर्तन,बाबेल, डॉ0 बंसतीलाल सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद 2013
3. महात्मा गांधी नरेगा ज्योति (त्रेमासिक पत्रिका) नवम्बर 2015 ,राजस्थान सरकार
4. औधागिक समाजशास्त्र,विश्वनाथ झा0,रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2012